रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072025-264879
CG-DL-E-22072025-264879

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2025/आषाढ़ 30, 1947
No. 443] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2025/ASHADHA 30, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 486(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में —

(क) नियम 44 में, खंड (iक) का लोप किया जाएगा;

(ख) नियम 45 के,—

(i) उप-नियम (7) में,—

(क) "और टाइटेनियम के" शब्दों के स्थान पर, ", टाइटेनियम, जिरकोनियम और सीजियम के" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “और टाइटेनियम स्पंज धातु” शब्दों के स्थान पर, “, टाइटेनियम स्पंज धातु, जिरकोनियम स्पंज और सीजियम धातु” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(11) भारतीय खान ब्यूरो, रुबिडियम कार्बोनेट के लिए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित नवीनतम उपलब्ध कैलेंडर वर्ष के मूल्यों के आधार पर भारतीय रुपए में ऐसे मूल्य को निम्नलिखित से गुणा करके रुबिडियम का औसत विक्रय कीमत प्रकाशित करेगा, अर्थात्:—

(क) उक्त कैलेंडर वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की औसत संदर्भ दर; और

(ख) 1.35 का संपरिवर्तन कारक।”;

(ग) नियम 67 के,—

(i) उप-नियम (1) में,—

(अ) “परमाणु खनिज प्रभाग” शब्दों के स्थान पर, “परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय” शब्द रखे जाएंगे;

(आ) “अथवा मिनरल एक्स्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी, द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (145) के अंतर्गत किया जाना हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उदेश्य के लिए अधिसूचित ऐसी किसी संस्था को राज्य सरकार सरकारी राजपत्र मे अधिसूचना जारी करके क्षेत्र का विवरण देते हुए तथा कालावधि जिसके लिए पूर्वेक्षण संक्रियाए की जानी है, जारी की जाएगी।” शब्दों के स्थान पर, “या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) के अर्थांतर्गत मिनरल एक्स्प्लोरेशन कार्पोराशन लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी तथा कोई ऐसी इकाई, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन, इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जा सकती है, के अंतगर्त की जानी है, केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, क्षेत्र का विवरण देते हुए तथा अवधि जिसके लिए पूर्वेक्षण संक्रियाएँ की जानी है, अधिसूचना जारी करेगी।” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (1) के अधीन जारी अधिसूचना को अधिसूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति से पूर्व वापस ले सकेगी।”;

(घ) नियम 68 में,—

(i) “के भाग ग” शब्द और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ii) पहले परंतुक में, “राज्य सरकार” शब्द के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. एम.VI-16/68/2025-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण॰— खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 279(अ) तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 118(अ) तारीख 20 फरवरी, 2024 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2025

G.S.R. 486(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016,—

(a) in rule 44, clause (ia) shall be omitted;

(b) in rule 45,—

(i) in sub-rule (7),—

(A) for the words "and Titanium in", the words ", Titanium, Zirconium and Caesium in" shall be substituted;

(B) for the words "and Titanium sponge metal", the words ", Titanium sponge metal, Zirconium sponge and Caesium metal" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(11) The Indian Bureau of Mines shall publish average sale price of Rubidium in Indian Rupees on the basis of prices published by the United States Geological Survey or other reputed publications for Rubidium Carbonate for the latest available calendar year by multiplying such price with the following, namely:—

(a) average reference rate of Reserve Bank of India for the said calendar year; and

(b) the conversion factor of 1.35.";

(c) in rule 67,—

(i) in sub-rule (1), —

(A) for the words "Atomic Minerals Division", the words "Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research" shall be substituted;

(B) for the words "the State Government shall", the words, brackets and figures "under the second proviso to sub-section (1) of section 4, the Central Government shall" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The Central Government may revoke a notification issued under sub-rule (1) before the expiry of the period stated in the notification.";

(d) in rule 68,—

(i) the words and letter "Part C of" shall be omitted;

(ii) in the first proviso, for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted.

[F. No. M.VI-16/68/2025-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note.— The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 279(E), dated the 4th March, 2016 and lastly amended *vide* number G.S.R. 118(E), dated the 20th February, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.22 14:21:26 +05'30'